GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1147
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4TH DECEMBER, 2015
13, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)

MAT IN FPI

1147. PROF. SAUGATA ROY:
SHRI K. PARASURAMAN:
DR. MANOJ RAJORIA:
SHRI A.T. NANA PATIL

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Justice A.P. Shah Committee has recommended avoiding Minimum Alternative Tax (MAT) in Foreign Portfolio Investment (FPI) and if so, the details thereof;

(b) whether the Government has accepted its recommendation and revised accordingly tax rules to exempt foreign companies to pay MAT, if so, the total number of foreign companies exempted along with total amount written off;

(c) the number of applications of foreign companies on MAT issue pending with the Authority of Advance Ruling (AAR) for more than six months along with the reasons therefor; and

(d) the corrective steps taken by the Government in this regard including providing adequate infrastructure to AAR in order to deal with pending cases efficiently?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JAYANT SINHA)

(a) & (b) Justice A. P. Shah Committee has recommended that section 115JB of the Income-tax Act, 1961 may be amended to clarify the inapplicability of MAT provisions to Foreign Institutions Investors (FIIs) / Foreign Portfolio Investors (FPIs). Alternatively, a Circular may be issued clarifying the inapplicability of MAT provisions to FIIs/FPIs.

The Government has accepted the recommendation of the Committee and decided to carry out appropriate amendment so as to provide that the MAT provisions will not be applicable to FIIs/FPIs not having a place of business / permanent establishment in India, for a period prior to 01.04.2015. An appropriate legislative amendment to the Income-tax Act is proposed to be carried out.

(c) Currently, there are 489 applications pending before the Authority for Advance Ruling for more than six months. Some of them may involve MAT issue besides other issues.

(d) Government has created two new benches of AAR, one at Mumbai and the other at National Capital Region vide Notification No. 1/2015 dated 20.03.2015. Further, vide Sanction Order No. 1/2015 dated 18.06.2015, necessary number of posts have been created for the newly created benches.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1147
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015/13 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

<u>एफपीआई में एमएटी</u>

1147. प्रो; सौगत राय:
श्री के.परसुरमन:
डॉ. मनोज राजोरिया:
श्री ए.टी.नाना पाटील:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति ए.पी.शाह समिति ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को हटाने की सिफारिश की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार किया है और एमएटी अदा करने के लिए विदेशी कंपनियों को छूट देने के लिए तदनुसार कर नियमों को संशोधित किया है, यदि हां, तो छूट दी गई कंपनियों की कुल संख्या कितनी है और माफ की गई कुल राशि कितनी हैं;
(ग) अथॉरिटी ऑफ एडवांस रुलिंग (एएआर) के पास एमएटी मुद्दे पर विदेशी कंपनियों के कितने आवेदन छह माह से अधिक के लिए लंबित है और इसके क्या कारण है; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में और लंबित मामलों में कुशलता से निपटने के उद्देश्य से एएआर को पर्याप्त अवसंरचना सहित क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) और (ख): न्यायमूर्ति ए.पी.शाह समिति ने यह सिफारिश की है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी में संशोधन किया जाए ताकि विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के संबंध में एमएटी के प्रावधानों के लागू नहीं किये जाने को स्पष्ट किया जा सके। वैकल्पिक तौर पर विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के संबंध में एमएटी के प्रावधानों को लागू न किये जाने को स्पष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी किया जाए।

सरकार ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है और समुचित संशोधन लाने का निर्णय लिया है ताकि इस आशय का प्रावधान किया जा सके कि एमएटी के प्रावधान ऐसे विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के संबंध में लागू नहीं होगे जिनका भारत में 1.4.2015 से पूर्व की अवधि के लिए कारोबार का स्थान/स्थायी स्थापन नहीं था।

आयकर अधिनियम में एक समुचित विधायी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

(ग): इस समय अग्रिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारिता के समक्ष 489 आवेदन 6 माह से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें से कुछ मुद्दे, अन्य मुद्दे के अतिरिक्त एमएटी मुद्दें से जुड़े हो सकते है।

(घ) सरकार ने दिनांक 20.3.2015 की अधिसूचना सं.1/2015 के अंतर्गत एएआर की दो नयी खंड पीठों का गठन किया है जिनमें एक मुंबई में और दूसरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। इसके अलावा दिनांक 18.6.2015 के मंजूरी आदेश सं.1/2015 के अंतर्गत नयी गठित खंड पीठों के लिए पदों की आवश्यकता संख्या का सृजन किया गया है।